0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. SPL-33, Phase-2nd,Bhicchwal Industrial Area,
Bikaner – 334001
Email:ro-bikaner@gmail.com www.rpcb.rajasthan.gov.in

RPCB/RO BIKANER/BM-703/ 1441	Date : 09/11/2023

Member Secretary,
State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan
4, Institutional Area, Jhalana Doongri
Jaipur.

Sub: - **Regarding Public Hearing for Environmental Clearance of Mining Project of M/s Win Clay Mines & Minerals, (Reference No 20211000040020, Area 3.9874 Ha. & Production Capacity 3,35,107 TPA (ROM)) {Ball Clay, Silica Sand,} (Cluster Area: - 44.3995 Hac.) At/Near Khasra No. 17, Village – Deh, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.**

Ref.: - Public Hearing conducted on dated 03.10.2023.

Sir,

Apropos above, it is informed that the public hearing in the matter of Environment Clearance for the Mining Project of **M/s Win Clay Mines & Minerals, (Reference No 20211000040020, Area 3.9874 Ha. & Production Capacity 3,35,107 TPA (ROM)) {Ball Clay, Silica Sand,} (Cluster Area: - 44.3995 Hac.) At/Near Khasra No. 17, Village – Deh, Tehsil- Kolayat, District- Bikaner** was conducted on 03.10.2023 at Gram Panchayat Bhawan Chak Bandha No. 1 (Sankhla Basti), Tehsil- Kolayat, District- Bikaner.

The minutes of the public hearing along with CD of videography of Proceedings and photographs are being forwarded in original for examination and further necessary action at the level of State level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) under EIA notification, 2006.

Enclosed: -

(i) One set of minutes of the Public Hearing
(ii) One set o Attendance Sheet
(iii) Copy of Objection letter
(iv) One set of Videography of the proceedings (1 CD)
(v) One set of Photographs

Yours Sincerely

– Sd –
(Pradeep Kumar Asnani)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action: -

1. Member Secretary/Group Incharge (Mines), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. Additional District Magistrate (Adm.), Bikaner
3. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceedings of public hearing on Board's website.
4. Win Clay Mines & Minerals, NH-89, Near Bus Stand, Jhunjhala, Nagaur.

Regional Officer

जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत **मैसर्स श्री विन क्ले माईन्स एण्ड मिनरल्स, (खसरा नम्बर 17), रेफरेन्स नम्बर 20211000040020, क्षेत्रफल 3.9874 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 335107 टी.पी.ए. (रोम) (बॉल क्ले, सिलिका सेंड), निकट ग्राम– डेह, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** जो कि **क्लस्टर परियोजना {मैसर्स विन क्ले माईन्स एण्ड मिनरल्स, (खसरा नम्बर 17), रेफरेन्स नम्बर 20211000040020, क्षेत्रफल 3.9874 हैक्टेयर उत्पादन क्षमता 335107 टी.पी.ए.(रोम); मैसर्स राजस्थान माईन्स एण्ड मिनरल्स, रेफरेन्स नम्बर–201810000134, क्षेत्रफल 3.9903 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 185000 टी.पी.ए; मैसर्स हेतराम मील, रेफरेन्स नम्बर–201810000132, क्षेत्रफल 3.9172 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 185000 टी.पी.ए; मैसर्स संजय सिंह, रेफरेन्स नम्बर–201810000128, क्षेत्रफल 3.9895 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 185000 टी.पी.ए.; मैसर्स रोहित डागा, एम.एल. नम्बर 08/2011, क्षेत्रफल 4.8819 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 100000 टी.पी.ए; मैसर्स श्री धारा माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 07/2011, क्षेत्रफल 4.9092 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 200000 टी.पी.ए.; मैसर्स क्ले केम माईनिंग कम्पनी, प्लॉट नबर 15, क्षेत्रफल 14.7252 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 199500 टी.पी.ए.; मैसर्स राजेश मोहन भाई, रेफरेन्स नम्बर 2018100001578, क्षेत्रफल 3.9984 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 389090 टी.पी.ए.} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 44.3995 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–1778697 टी.पी.ए.**, में स्थित है, उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 03.10.2023 को **ग्राम पंचायत भवन–चक बन्धा नं 1(साँखला बस्ती), तहसील–कोलायत जिला–बीकानेर (राजस्थान)** में प्रातः 11.00 बजे से जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री प्रतिभा देवठिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ठ "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 02.09.2023 को समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक युगपक्ष में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ठ "ब"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता /प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया एवं एवं बताया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी । क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा सभी आमजन से खनन परियोजना से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुनने एवं समझने हेतु निवेदन किया गया तथा पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाने हेतु भी निवेदन किया गया। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्री विन क्ले माईन्स एण्ड मिनरल्स**, माइन्स के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स मंत्राज ग्रीन रिर्सोसेज लिमिटेड"** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स मंत्राज ग्रीन रिर्सोसेज लिमिटेड"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत बताया कि इस खनन ईकाई का **रेफरेन्स नम्बर 20211000040020**, कुल खनन क्षेत्र **3.9874** हेक्टेयर, खनिज– बॉल क्ले, सिलिका सेंड एवं उत्पादन क्षमता **335107 टी.पी.ए. (रोम)** है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, क्लस्टर परियोजना का क्षेत्रफल मय नक्शा, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी महोदय श्री प्रदीप कुमार आसनानी ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपना आक्षेप एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

श्री गज्जेसिंह, सरपंच ग्राम सांखला बस्ती द्वारा खनन ईकाई को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का विरोध किया गया एवं आंक्षेप किया गया कि खनन पट्टा धारकों द्वारा जन सुनवाई के दौरान सी.एस.आर फण्ड से ग्राम विकास हेतु सहयोग करने की घोषणाएं की जाती है परन्तु वास्तविकता में किसी भी खनन ईकाई द्वारा सी.एस.आर. फण्ड से ग्राम विकास हेतु सहयोग प्रदान नहीं किया जाता हैं। खनन ईकाईयों द्वारा पौधारोपण भी नहीं किया जाता है न ही धूल दमन हेतु पानी का छिडकाव किया जाता है। सरपंच महोदय द्वारा यह भी बताया गया की खनन के दौरान लोडेड वाहन गॉव की सड़कों से गुजरते हैं जिस कारण से रोड़ टूट जाती है एवं गड्ढे हो जाते है परन्तु खनन पट्टा धारकों द्वारा इस हेतु कोई ठोस कदम नही उठाये जाते है तथा नियमों की पालना नहीं की जाती है। सरपंच महोदय द्वारा यह भी आक्षेप लगाया गया की जन सुनवाई की सूचना ग्राम पंचायत व ग्रामवासियों को नहीं दी गई जिस कारण से जन सुनवाई का बहिष्कार किया जाता हैं। उक्त आक्षेप को लिखित में क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया जो कि **परिशिष्ठ 'स'** पर संलग्न है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने दिये लिखित प्रस्ताव के ऊपर खनन ईकाई के प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खनन कार्य शुरू होने के उपरान्त सभी नियमों का यथा संभव पालन किया जायेगा। खनन ईकाई व गॉव में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किया जायेगा। धूल दमन हेतु हर संभव प्रयास यथा पानी का नियमित छिड़काव, ट्रकों को तिरपाल से ढकना इत्यादि कार्य किये जायेगें। गॉव से गुजरने वाले रास्तों का रखरखाव करना सुनिश्चित किया जायेगा। खनन कार्य में गॉव के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा सी.एस.आर फण्ड से ग्राम विकास हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने की सहमति दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित अन्य ग्रामवासियों से सुझाव अथवा आक्षेप दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया गया।

श्री दलीप सिंह ने कहा कि पट्टा धारक द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा। इनके द्वारा नियमों की पालना नहीं की जायेगी। इनके द्वारा वाहनों को तिरपाल से नहीं ढका जायेगा साथ ही ऑवरलोड ट्रकों के निकलने से ग्रामीणों को समस्याऐं होगी। माईन्स में कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाये जायेगें। खनन के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किये जायेगें। सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जायेगा। हरित पट्टीका हेतु वृक्षारोपण नहीं किये जायेगें। खनन में उपयोग होने वाली मशीनो का सही प्रकार से रखरखाव नहीं करेगें जिससे आस–पास के लोगो को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पडेगा। यह भविष्य में ग्रामीणों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेगें। पट्टेदारों व ग्राम पंचायत का समर्थन नहीं करेगें। क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधा व विकास के लिये सहायता प्रदान नहीं करेगें। स्थानीय निवासियों को कार्य न देकर बाहर के लोगों को रोजगार देगें। वर्षा के जल में क्ले धुल कर आस पास के खेतो में जायेगा उससे किसानों को भारी नुकसान होगा। माईनिंग के दौरान कई बार विषेले प्रदार्थ निकलेगें जो मिट्टी को प्रदूषित करेगें। ऑवर बर्डन को आस पास के किसानों की भूमि पर डाल दिया जायेगा। आस–पास के जीव जन्तुओं को माईनिंग के कारण परेशानी का सामना करना पडेगा। माईनिंग के कारण आस–पास के तालाब भी प्रभावित होगें। माईनिंग क्षेत्र के चारो तरफ किसी प्रकार की तारबंदी नहीं की जायेगी। श्री दलीप सिंह द्वारा उक्त आक्षेपों को लिखित में क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया जो कि **परिशिष्ठ 'द'** पर संलग्न है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने दिये लिखित प्रस्ताव के ऊपर खनन ईकाई के प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

खनन ईकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उक्त खनन ईकाई अभी प्रस्तावित है जिसके पर्यावरण स्वीकृति मिलने के उपरान्त शुरू होने पर सभी नियमों एवं शर्तों यथा पौधारोपण, नियमित पानी का छिड़काव स्थानीय लोगों को रोजगार जैसे सुझावों की पूर्ण पालना की जायेगी। प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि ग्राम पचायत एवं स्थानीय निवासीयों के सहयोग से सभी ग्रामीणों के हितों का ध्यान रख कर गॉव के विकास हेतु उचित प्रयास किये जायेगें।

अन्त में श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर ने श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं उपस्थित जन समुदाय को जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(प्रतिभा देवठिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
कार्यालय, जिला कलक्टर, बीकानेर

परिशिष्ट -3

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स विन क्ले माईन्स एण्ड मिनरल्स, (खसरा नम्बर 17), रेफरेन्स नम्बर 20211000040020, क्षेत्रफल 3.9874 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 335107 टी.पी.ए. (रोम) (बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड माईन्स) में प्रस्तावित है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 03.10.2023 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन, चक बन्धा नं 1 (सॉखला बस्ती), तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–03.10.2023 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग / कार्यालय	हस्ताक्षर
1.	श्री प्रतिभा देवठिया	ADM (Admin), Bikaner	[signature]
2.	प्रदीप कुमार [illegible]	RO, RSPCB	[signature]
3.	गिरीश [illegible]	A.EN, RO, RSPCB	[signature]
4.			
5.	दलीपसिंह	एडवोकेट	[signature] [illegible]
6.	[illegible]		[signature]
7.	लूणाराम [illegible]		लूणाराम
8.	[illegible]		[illegible]
9.	नूराराम		नूराराम
10.	[illegible]		[signature]
11.	Mukesh.		Mukesh.
12.	[illegible]		[signature]
13.	राम प्रकाश [illegible]		[signature]
14.	कार्तिकेय पाल	माइंस ऑनर	[signature]
15.	जेठाराम		जेठाराम
16.	[illegible]		
17.	[illegible]		

41.	[illegible]		
42.	[illegible]		[illegible]
43.	Arvind Vaishnav	Mantras green Jaipur	[illegible]
44.	Vivek Tyagi	Mantras Green Jaipur	[illegible]
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			

कार्यालय ग्राम पंचायत चक बंधा नं. 1 सा. बस्ती

दिनांक 03/10/2

/10/2023

सेवा में

क्रमांक: ग्रा.प./चक 1/2023/1A

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
राज.राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल
बीकानेर

महोदय जी

विषय :- पर्यावरण स्वीकृति को लेकर ग्रा.प. स्तर जनसुवाई बहिष्कार

नम्र निवेदन है, कि आज दिनांक आज 03.10.2023 को ग्राम पंचायत चक बंधा नं. 1 सांखला बस्ती में ग्राम डेह की माइंस लीज विन क्ले, यश अग्रवाल माइंस की पर्यावरण स्वीकृति को लेकर जनसुनवाई का आयोजन रखा गया है जिसमें ग्रामीण व ग्राम पंचायत को कोई पूर्व सूचना नहीं है। जिस कारण ग्रामीण इसमें ग्रामीण पूर्ण रूप से भाग नहीं ले सके है जिस कारण जन सुनवाई का आयोजन सफल नहीं हो सका है।

इसलिये ग्राम पंचायत इस जनसुनवाई का पूर्ण रूप से बहिष्कार करती है।

धन्यवाद

सरपंच
ग्राम पंचायत चक बन्धा नं.-01
पं.स. कोलायत (बीकानेर)

सेवा मे,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
बीकानेर

महोदय जी,

विषय :– खनन पट्टे की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में ग्रामीणो की ओर से आपति दर्ज करने बाबत् ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम रोही 56 के खसरा नं 17, एम. एल नं 2021100004 0020 की विन नमो एवं मिनरल्स द्वारा खनन लीज विभाग द्वारा जारी करवाई गई है जिसकी पर्यावरण स्वीकृती को लेकर ग्रम पंचायत चक 4 बी.जे.डी. में जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 3/10/2023 को होने जा रहा है।

पर्यावरण स्वीकृती को लेकर ग्रामीणो की ओर से आपतियां निम्न प्रकार से है ।

1. खनन पट्टा धारक द्वारा लीज क्षेत्र के ग्रीन बेल्ट सहित आस पास के क्षेत्र मे किसी भी प्रकार से वृक्षारोपण नही किया जाता है जिसके कारण क्षेत्र मे पर्यावरण प्रदुषण मे लगातार बढोतरी हो रही है ।
2. पट्टाधारक द्वारा खनन करते समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम सहित अन्य अधिनियमो के तहत खनन कार्य नही किया जा रहा है
3. पट्टाधारक द्वारा खनन के दौरान माल को परिवहन करने वाले वाहनो को बिना तिरपाल से माल का परिवहन करते है जिसके कारण परिवहन के समय वाहनो से मिट्टी व धुल के कण हवा मे उडते है जिसके कारण आबादी क्षेत्र से निकलने वाले वाहनो से ग्रामीणो को परेशानी का सामना करना पड़ता है ।
4. खनन लीज क्षेत्र मे काम करने वाले श्रमिको को किसी भी प्रकार से सुरक्षा उपकरण मास्क, सेफटी सुज, हेलमेट आदी सामग्री उपलब्ध नही करवाई जाति है जिसके कारण लगातार श्रमिको के साथ लगातार हादसे होते रहते है ।
5. खनन प्रकिया के दौरान वायु को नियत्रिंत करने के लिए निम्नलिखित उपायो की पालना नही करते है

   A. सड़को पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव नही करते है

   B. धुल उत्सर्जन क्षेत्र मे कार्यरत मजदूरो को डस्ट मास्क उपलब्ध नही करवाये जाते है ।

   C. धूल प्रदुषण को नियत्रिंत करने के लिए पट्टा क्षेत्र के बाहर हरित पट्टिका / वृक्षारोपण विकसित नही किये जाते है ।

   D. वायु की नियमित जांच नही करवाते है ।

   E. ट्रको में ओवरलोडिंग से माल परिवहन करवाते है ।

6- ध्वनि प्रबंधन के नियमो का उल्लघंन

(अ). खनन क्षेत्र मे कार्य के उपयोग मे ली जाने वाली मशीनो का सही तरिके से रख रखाव नही किया जाता है जिसके कारण कार्य के समय शोर बहुत ज्यादा होने के कारण आस पास के आमजन को बड़ी मुश्किलो का सामना करना पडता है

(ब). मशीनरी का उचित रख रखाव और टयुनिंग सुनिश्चित नही की जा रहीं है

(स). मजदूरो को अत्यधिक शोर के प्रभाव से बचाने के लिए इयर प्लग एवं मफ्र्स का उपयोग नही करवाया जाता है ।

(द). ध्वनि प्रसारण को रोकने के लिए पट्टा क्षेत्र के बाहर हरित पट्टिका वृक्षारोपण विकसित नही किया जाता है ।

(स). ध्वनि गुणवता का आवधिक निरिक्षण नही करवाया जाता है व भविष्य में किसी भी प्रकार से उचित प्रयास नही करते है ।

7- परियोजना लाभ

A- पट्टेदार स्थानीय पंचायत का समर्थन नही करता है क्षेत्र मे सार्वजनिक सुविधाओ के विकास के लिए सहायता प्रदान नही करता है पट्टेदारी कुशल एवं अकुशल कामगार स्थानीय एवं योग्यताओ के अनुसार कार्य नही देकर के बाहर के लोगो को कार्य देते है

B- बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधा सुधार एवं आवास , परिवहन , चिकित्सा , शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओ से वचिंत किया जाता है

8- जल प्रबंधन

A- वर्षा के समय बहने वाला पानी बाल क्ले मे घुलकर आस पास के किसानो के खेतो मे जाने के कारण उनके खेतो की फसल उपजाउ दिनो दिन कम होने के कारण स्थानिय किसानो को बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है

B- कुछ वर्षा का जल खनन पिट के अन्दर चला जाता है वर्षा जल को रोकने के लिए पिट के चारो और गारलैंड ड्रेंन नही बनाये जाते है

9- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

A- खनिज उत्खनन से अनेको बार विषैला पदार्थ निकलता है जिसके कारण आस पास के किसानो की खेत की मिट्टी प्रदुषित होती है ।

B- अपशिष्ट और सिल्ट को रोकने के लिए डम्प के चारो और रिटेनिंग वॉल नही बनाई जाति है ।

C- खनन क्षेत्र से निकलने वाले ओवर बर्डन को रिफलिंग न करके आस पास लीज क्षेत्र से बाहर डाल दिया जाता है ।

D- अपशिष्ट डम्पो को स्थिर करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय नही किये जाते है आवश्यकता होने पर डपिंग के सिरे पर रिटेनिंगवॉल नही बनाई जाती है परिपक्य डम्प पर वर्क्षारोपण नही करते है ।

स्त्रोत पर अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए किसी भी प्रकार से देखभाल नही की जाती है ।

10- हरित पट्टिका विकास एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम पर ध्यान नही देना

CPCB दिशा निर्देशो के अनुसार पौधो की प्रजातियो को नही लगाया जाता है व वनीकरण योजना के तहत बैकफिल्ड क्षेत्रो और आबादी कनेक्टिंग सड़को मे वृक्षा रोपण नही करते है बैरियर जोन और सड़को में वृक्षा रोपण आवश्यक होने के बावजूद न करते जिसके कारण क्षेत्रो मे खनन कार्य एवं वाहन आंदोलन के परिणाम स्वरूप सुक्ष्म कण धुल के उडने के कारण स्थानियो को परेशानी होती है

11. खनिज क्षेत्र के 10 किमी त्रिज्या क्षेत्र मे वन विभाग , ओरण , गोचर होने के कारण जिव जन्तूओ का आवागमन हमेशा होता रहता है और इससे जिव जन्तुओ को खनन कार्य के दौरान परेशानियो के कारण क्षेत्र से लुप्ट होने जा रहे है

12. खनन क्षेत्र के पास मे नदी नाला , वाटर चेनल्स व जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड मे 90 sq में गंगा सरोवर बांध का पायतन है एवं कपिल सरोवर का पायतन खनन से कही न कही बहाव क्षेत्र प्रभावित होगा

13. पास में ही जोगिरा तालाब , भलूरी तलाई , सुरजमल तलाई , मोटावता तलाई , खारी तलाई सहित कई तलाईया है जो कि वो भी खनन के दौरान प्रभावित होने की पुरी संभावना है

14. खनन कार्य के दौरान वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा पर भी कही न कही बुरा प्रभाव पड़ेगा एवं इनकी गुणवता व जांच पर पट्टाधारक ध्यान नही देते है ।

15. खनन क्षेत्र के चारो और किसी भी प्रकार से फेनसिंग और तारबंदी नही लगाई जाती है जिसके कारण पशु गिरने से आये दिन हादसे होते रहते है

16. जीव जन्तु

A- खनन पट्टा क्षेत्र के आस पास की भुमी वन , गोचर ओरण होने के कारण यहां जीवों की उपस्थिति बहुत ज्यादा है कुछ ऐसी भी प्रजातियां है जो लुप्तप्राय है इस प्रकार क्षेत्र मे पाये जाने वाले जीवो पर खनन गतिविधी का बहुत बड़ा प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा

निष्कर्ष

उपरोक्त बिंदुओ तथ्यो और आकडो को गहराई से देखने से पता चलता है कि पानी की गुणवता , जल विज्ञान , मिट्टी भुविज्ञान , जैव विविधता , वायु गुणवता , पर्यावरण, जोखिम के खतरे , सामाजिक आर्थिक स्थिती , शोर और कंपन्न और ठोस अपशिष्ट उतपादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

पानी के छिडकाव नही करने से स्त्रोत पर धुल को कम नही किया जा सकेगा

शोर वाले स्थान पर श्रमिको को फेस मास्क , जूते और ईयर प्लग उपलब्ध नही करवाये जाते है । खनिज का परिवहन ढके हुए तिरपाल से न करके आबादी भूमी से ओवरलोड वाहनो का उपयोग किया जाएगा , खनन पट्टा क्षेत्र मे पियूसी बिना प्रमाणित वाहनो का उपयोग किया जायेगा , व क्षेत्र के लिए वायु गुणवता मॉडलिंग पर ध्यान नही देते है एवं खनन कार्य दिन रात किया जाता है लीज क्षेत्र सहित आस पास वृक्षारोपण पर ध्यान नही दिया जाता है जिसके कारण स्थानिय ग्रामीणो को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

दिनांक

प्रार्थीगण

समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत चक बधोराम

प्रतिलिपि

1. मुख्य शासन सचिव शासन सचिवालय, जयपुर

Daleep Singh
Advocate
Raj High Court
Sri Kolayat (Bikaner)

2. प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय, जयपुर

3. प्रमुख शासन सचिव खनन विभाग शासन सचिवालय जयपुर

4. प्रमुख शासन सचिव प्रदूषण विभाग शासन सचिवालय जयपुर

5. निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर

6. संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर

7. प्रमुख शासन सचिव वन पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग जयपुर

8. अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर

9. शासन सचिव श्रम कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं आयुक्त श्रम विभाग जयपुर

10. महाप्रबंन्धक जिला उधोग केन्द्र, चोपड़ा कटला, रानी बाजार, बीकानेर।

11. सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डेंगरी जयपुर

12. एकीकृत क्षेत्रिय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ए 209 व 218, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड़, झालाना संस्थानिक क्षेत्र , जयपुर ।

13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कार्यालय , एन एच 11. सिविल लाईन्स, बीकानेर ।

14. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर।